**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, हापुड़।**
**उपस्थिति : यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-2036)**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1388/2026

**CNR No.UPHP010047882026**

1. आफाक मलिक पुत्र जमालुद्दीन निवासी मौहल्ला कोटला सादात हापुड़ थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़।

**बनाम**

सरकार

अन्तर्गत धाराः 115(2), 352, 316(2) बी.एन.एस. व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी.एक्ट
थानाः हापुड़ देहात, जिला हापुड़।
मु0अ0सं0–134/2025

**आदेश**

**दिनांक–02.07.2026**

**1.** आवेदक/अभियुक्त आफाक मलिक पुत्र जमालुद्दीन की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–134/2025 अर्न्तगत धारा–115(2), 352, 316(2) बी.एन.एस. व 3(1)द, 3(1) ध एस.सी./एस.टी.एक्ट थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़ में प्रस्तुत किया गया है।

**2.** वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि मैं लज्जा देवी पत्नी स्व0 रामपाल सिंह निवासी कोटला सादात में रहती हूँ। मेरे पैसे आफाक मलिक पड़ोस का ही रहने वाला है, जो मैंने कमेटी डाली डाली हुई थी, उस के पैसे मांगने लगी तो मुझे आफाक ने गाली गलौज की और मेरे साथ मारा पीट की गई और मेरी कमेटी के पैसे देने से मना कर रहा था। मैं थाने आई हूँ। कृपा करके मेरी रिपोर्ट लिखने की कृपा करे।

**03.** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किये गये हैं कि उपरोक्त अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त को साजिंशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को पडोसी रजिंश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर वादिनी के जो पैसे थे वो प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिनी को अदा कर दिये। जब वाहदनी ने प्रार्थी/अभियुक्त से रूपये प्राप्त किये थे, उस समय वाहदनी ने प्रार्थी/अभियुक्त से रूपये लेने/प्राप्त करते हुये वीडियो बनवायी थी, जो प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाईल फोन मे सुरक्षित है। रूपये लेने से पूर्व वादिनी ने एक ब्लैंक चेक संख्या 000052 प्रार्थी/अभियुक्त के खाता संख्या–2273011002053 यूको बैंक शाखा हापुड का प्रार्थी/अभियुक्त के

हस्ताक्षर कराकर लिया था। जब वादिनी ने अपने रूपये प्रार्थी/अभियुक्त से प्राप्त कर लिये तो उसके बाद प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिनी से अपना चेक मांगा तो वादिनी ने प्रार्थी/अभियुक्त का चेक नहीं दिया और पुलिस थाना हापुड देहात से साज करके बदनियती से यह झूठा केस कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्पक्ष गवाह नहीं है, जो भी गवाह वादिनी ने बनाये हैं, वो सब वादिनी के घर परिवार के हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई कृत्य नही किया है जैसा कि उपरोक्त केस में दर्शाया है। वादिनी ने प्राथमिकी में जो अंकित किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने मारपीट की और कमेटी का पैसे देने से मना कर रहा था, सरासर झूठा व निराधार आरोप है प्रार्थी/अभियुक्त वादनी के रूपये दे चुका है। ये बात सही है कि प्रार्थी/अभियुक्त व वादिनी आपस में पडोसी है पडोसी होने के नाते आपस मे बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई कृत्य नही किया है जैसा कि प्राथमिकी मे दर्शाया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी मे कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं किया कि जिसमे प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई जाति सूचक शब्द का वर्णन हो केवल झूठे मुकदमे को रंगत देने की गरज से आरोप पत्र मे धारा 3 (1) घब उ (1) द का उल्लेख किया गया है। चूकिं वादनी ने पुलिस थाना हापुड देहात से साज करके एक झूठा मुकदमा लिखवाया है, पुलिस ने वादिनी का एक झूठा मेडिकल भी कराया जिसमे चोटो की प्रकृति साधारण बतायी गयी। उपरोक्त केस की प्राथमिकी एवं गवाहो के बयानो मे घोर विरोधाभास है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई भी कृत्य नही किया है जैसा कि प्राथमिकी मे दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रेमाफैसाई कोई केस मेडआउट नही होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नही है ना ही वह किसी केस मे सजायाफता है। अतः जमानत स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

**03.** वादिनी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस.सी./एस. टी. एक्ट) द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि वादिनी मुकदमा द्वारा डाली गयी कमेटी के रूपये अभियुक्त से मांगने गयी तो अभियुक्त ने रूपये नहीं दिये और वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी तथा जातिसूचक शब्द कहते हुए अपमानित किया। अभियुक्त पर अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने के अनुरोध किया गया है।

**04.** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त ने वादिनी के रूपये वापस कर दिये हैं तथा प्रार्थी अभियुक्त ने कोई मारपीट नहीं की और न ही जान से मारने की धमकी दी है। अतः अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है।

**05.** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–15(क)3 के प्रावधान के अनुपालन में वादिनी मुकदमा/पीडिता को नोटिस दिया प्रेषित किया गया। वादिनी

मुकदमा पर नोटिस की तामीला पर्याप्त हैं। वादिनी मुकदमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

**06.** मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) की तर्कपूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

**07.** अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा द्वारा डाली गयी कमेटी के रूपये वापस न करने, कमेटी के रूपये वापस मांगने पर गली गलौज करने, जान से मारने की धमकी दे तथा जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप है। अभियुक्त को वादिनी मुकदमा द्वारा कमेटी के कितने रूपये दिये गये, इसका कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। जिस पर संज्ञान लिया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त पर धारा–35(3) बी.एन.एस.एस. की तामील करायी गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पूर्व में अंतरिम जमानत पर है। प्रस्तुत प्रकरण सात वर्ष से अनधिक कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विधि व्यवस्था Special Leave Petition (Crl) No. 5191 of 2021 Satender Kumar Antil vs. Central Bureau of Investigation & Another का भी अवलोकन किया गया। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया गया है। उक्त विधि व्यवस्था में वर्णित सिद्धांत के प्रकाश में, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों में, गुणदोष पर बिना कोई मत दिये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर सशर्त मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अस्तु आवेदक/अभियुक्त आफाक मलिक पुत्र जमालुद्दीन की जमानत मु0अ0सं0–134/2025 अर्न्तगत धारा–115(2), 352, 316(2) बी.एन.एस. व 3(1)द, 3(1) ध एस.सी./एस. टी.एक्ट थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़ में स्वीकार की जाती है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्तगण को अंकन–60,000/–(साठ हजार) रूपये की एक जमानत व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।

3. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा

दिनांक–02.07.2026

(यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी एक्ट
जनपद हापुड़।
(J.O. Code 2036)



Digitally signed by YAJNESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.07.02 16:40:47 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court Hapur